न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 23 / 2019 / बाड़मेर

अपीलांट

1. चम्पालाल पुत्र जयशंकर उम्र 81 वर्ष जाति श्रीमाली निवासी भलरों का बाड़ा तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर।

बनाम

रेस्पोर्डेंटगण

1.सुरेशकुमार जोशी पुत्र मोहनलाल
2.राजेन्द्रकुमार जोशी पुत्र मोहनलाल
3.जितेन्द्रकुमार जोशी पुत्र मोहनलाल
सभी जातियान श्रीमाली निवासियान नाकोड़ा सोसायटी मकान नं.6 6ए 10 डीसा जिला बनासकाठा गुजरात
4.बाबूलाल पुत्र रघुनाथजी जाति श्रीमाली निवासी ब्रह्मपुरी वाड़ी रोड़ डीसा जिला बनासकांठा गुजरात
5.प्रेगशंकर पुत्र रघुनाथजी जाति श्रीमाली निवासी ब्रह्पुरी नया डीसा जिला बनासकांठा गुजरात
6.प्रकाश पुत्र मूलारामजी जाति श्रीमाली निवासी 3 एच, पंचशील एपार्टमेन्ट अल्लायानी बड़ी बेगमपुरा सुरत गुजरात।
7.लक्ष्मीनारायण पुत्र नेमीचन्द जाति श्रीमाली निवासी भलरों का वाड़ा तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर।
8.कौशल्यादेवी पत्नी खीमाशंकर जाति श्रीमाली
9.अभिषेक पुत्र खीमाशंकर जाति श्रीमाली
10.आनन्द पुत्र खीमाशंकर जाति श्रीगाली
11.आदित्य पुत्र खीमाशंकर जाति श्रीमाली(महर्षि पंडित खीमाशंकर जोशी) सभी निवासियान श्री सिद्धेश्वरी हनुमानजी सेवा ट्रस्ट एच.एल. कॉमर्स कॉलेज के सामने नवरंगपुरा अहमदाबाद गुजरात।
12.महेन्द्रकुमार पुत्र रतनचन्द जाति श्रीमाली निवासी सणपा मानजी वाया रावतसर जिला बाड़मेर।
13.अशोककुमार पुत्र रतनचन्द जाति श्रीगाली निवासी पंचायत समिति कार्यालय शिव गुंगा जिला बाड़मेर।
14.फुसीदेवी पत्नी रतनचन्द जाति श्रीमाली निवासी सणपा मानजी वाया रावतसर जिला बाड़मेर।
15.नरेन्द्रकुमार पुत्र छगनलाल जाति श्रीमाली निवासी पंचायत समिति कार्यालय बालोतरा जिला बाड़मेर।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

16.सरस्वतीदेवी पत्नी छगनलाल जाति श्रीमाली निवासी C/0 नरेन्द्र कुमार पुत्र छगनलाल श्रीमाली पंचायत समिति कार्यालय बालोतरा
17.प्रकाश पुत्र मोहनलाल जाति श्रीमाली
18.कन्हैयालाल पुत्र मोहनलाल जाति श्रीमाली
19.देवी पत्नी मोहनलाल जाति श्रीमाली सभी निवासियान मु.पो डंडाली जिला बाड़मेर।
20.जेठाराम पुत्र बंशीलाल जाति श्रीमाली निवासी हाऊसिंग बोर्ड मारवाड
21.कीर्ति कुमार पुत्र ईश्वरलाल जाति श्रीमाली
22.उमा पत्नी ईश्वरलाल जाति श्रीमाली सभी निवासियान भलरों का बाड़ा तहसील समदड़ी जिला
23.भीमाशंकर पुत्र लालचन्द जाति श्रीमाली निवासी रातानाड़ा रोड़ मद्रासी मंदिर गली, गली नं. 31 सेन्ट्रल स्कूल के पास भैरू निवासी जोधपुर
24.मांगीलाल पुत्र लालचन्द जाति श्रीमाली नि. एस बी आई बैंक आहोर जिला जालोर।
25.रमेशकुमार पुत्र जटाशंकर जाति श्रीमाली
26.अशोककुमार पुत्र जटाशंकर जाति श्रीमाली
27.मनोजकुमार पुत्र जटाशंकर जाति श्रीमाली सभी निवासीयान 78 नेमीनाथ सोसायटी विभाग-2 साक मार्केट के पास राणीप अहमदाबाद गुजरात।
28.सारादेवी पत्नी खीमाराम जाति जाट निवासी काली जाल तहसील लूनी जिला जोधपुर।
29.राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदड़ी
30.उप पंजीयक समदड़ी तहसील समदड़ी।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर सिवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 125/2010 बअनवान चम्पालाल बनाम मोहनलाल वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 14.01.2019 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री अचलाराम थोरी अपीलान्ट की ओर से।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

2. वकील श्री कपिल श्रीमाली रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 26.02.2020

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट चम्पालाल ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट बंटवाड़ा के अनुतोष का पेश किया कि सरहद मौजा भलरों का वाड़ा में अवस्थित कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 223 रकबा 134 बीघा किस्म रेतीली अवस्थित हैं, उक्त कृषि भूमि भूतपूर्व खुदकाश्त होल्डर रघुनाथजी पुत्र बिहारीलालजी का 1/8 हिस्सा, मूलाराम पुत्र गणेशमलजी का 1/8 हिस्सा, नेमीचन्द पुत्र हंसराज का 1/8 हिस्सा, दयाशंकर पुत्र सेवाराम का 1/8 हिस्सा जो आलौलाद फौत होने जाने से उक्त हिस्से की खातेदारी हक निर्वापित हो गये, बंशीलाल पुत्र पूनमचंदजी 1/12 हिस्सा, लालचन्द पुत्र पूनमचन्दजी 1/12 हिस्सा, जटाशंकर पुत्र झुम्बरलालजी का 1/6 हिस्सा, वादी चम्पालाल का 1/6 हिस्सा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा मनमानी तंरग पर प्रदर्श ए 5, पद्रर्श ए 11 का गलत विवेचन कर गलत तौर से वादी का हिस्सा 1/8 हिस्सा माना हैं जबकि किसी भी तौर से वादी का वादग्रस्त भूमियों में 1/8 हिस्सा नहीं रहा, प्रतिवादी/रेस्पोडेंट ने जो दस्तावेज प्रदर्श ए 5, प्रदर्श ए 11 से प्रदर्श ए 13 पेश किये हैं उनका कोई साक्षिक मूल्य नहीं था, क्योंकि ऐसे दस्तावेजात के सम्बन्ध में वादी को सुनवाई सबूत का अवसर नहीं दिया गया था। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि खातेदारान के हिस्से, हक एवं हित को निर्धारण करने का या तय करने का कोई अधिकार राजस्व निरीक्षक या तहसीलदार को प्राप्त नहीं है और न ही ऐसी कोई जांच ही राजस्व निरीक्षक या तहसीलदार द्वारा नहीं की जा सकती। वादी/अपीलांट पक्षकार तक नहीं था और न कथित मुआवजा के प्रार्थना–पत्र प्रदर्श ए5, आदेश प्रदर्श ए 11 पर वादी अपीलांट के कोई संस्वीकृति स्वरूप हस्ताक्षर ही हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उसके समक्ष प्रस्तुत सारवान तथ्यों का न्यायिक विवके युक्त परिशीलन सही परिपेक्ष्य में नहीं कर मनमाना आधारहीन एकांकी विधि के स्थापित सिद्धान्तों के प्रतिकूल बिना क्षेत्राधिकार का निर्णय व डिक्री पारित की है जो युक्ति संगत नहीं होने से खारिज योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि जमाबंदी खतौनी संवत 2009 में स्पष्ट तौर से खातेदारान का नाम दर्ज हैं। राजस्व रेकर्ड में जो 1/2 हिस्से की

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

प्रविष्टियां वक्त सेटलमेंट दर्ज थी वह बंशीलाल, लालचन्द पीसरान पूनमचन्द, जआशंकर वल्द झूमरलाल, चम्पालाल वल्द जयशंकर 1/2 के रूप में थी, बंशीलाल व लालचन्द दोनों सगे भाई थे। वक्त सेटलमेंट पूनमचन्द का देहान्त हो चुका था, इस कारण बंशीलाल व लालचन्द का नाम दर्ज हुआ था, जटाशंकर वल्द झूमरलाल व वादी चम्पालाल का वंश वृक्ष राजरा कभी एक नहीं रहा, उक्त 1/2 हिस्से में 1/3 हिस्सा पूनमचन्द का, 1/3 हिस्सा जटाशंकर का व 1/3 हिस्सा वादी चम्पालाल का था, जिसे सही परिपेक्ष में पढ़ने में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विधि के विपरित जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.12.2015 को प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए अपीलांट को अपीलाधीन आराजी का 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया गया जिसके विरूद्ध प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय हाजा में अपील पेश की गई जो दिनांक 30.06.2017 को स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। विक्रय विलेख में 1/6 हिस्सा किया जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौति नहीं दी गई। अधीनस्थ न्यायालय ने उसके समक्ष प्रस्तुत सारवान तथ्यों का न्यायिक विवके युक्त परिशीलन सही परिपेक्ष्य में नहीं कर मनमाना आधारहीन एकांकी विधि के स्थापित सिद्धान्तों के प्रतिकूल बिना क्षेत्राधिकार का निर्णय व डिक्री पारित की है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/वादी द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजात पेश नहीं किया गया है जिससे उसका 1/6 हिस्सा साबित होता हो। बंशीलाल, लालचंद पुत्र पूनमचंद दर्ज होने से 1/6 हिस्सा माना है। प्रदर्श ए 11 मे 1/8 हिस्सा अनुसार मुआवजा लिया तथा प्रदर्श 5 व प्रदर्श 6 इसी अनुरूप है। प्रदर्श 15 से प्रदर्श 17 में सजरा पेश किया गया है। प्रदर्श 18 बिगोड़ी में भी 1/8 हिस्सा अपीलांट के नाम दर्ज हुआ। वादग्रस्त आराजी का गलत बेचान किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि तनकी संख्या 01 में प्रदर्श 12, प्रदर्श 14 व प्रदर्श 15 के आधार पर गवाहों के बयान व जागीर कमिश्नर के मुआवजे के आधार पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

निर्णित की गयी है जबकि प्रदर्श 12 में पटवारी रिपोर्ट में खतौनी संवत 2013–16 तक खाता संख्या 147 में वादी का 1/6 हिस्सा दर्ज बताया है। अतः केवल मात्र पटवारी के रिपोर्ट के आधार पर व बयानात के आधार पर हिस्सा कम ज्यादा नहीं किया जा सकता मूल रिपोर्ट प्रदर्श 2 में दर्ज हिस्से को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है तथा तनकी संख्या 5, 6 व 7 भी वादी के पक्ष में निर्णित हुई है। प्रदर्श 15 से प्रदर्श 17 के में वंशावली अनुरूप वादी/अपीलांट का हिस्सा तय कर दिया। इस प्रकार प्रदर्श ए 1 व प्रदर्श ए 2 को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी तथा प्रदर्श 15 से प्रदर्श 17 पंजीबद्ध दस्तावेज भी प्रभावी है तथा राजस्व रेकर्ड के अनुसार मुआवजा की राशि तय की जाती है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए मुआवजा की राशि के वितरण को ही राजस्व रिकॉर्ड में हिस्सा निर्धारण का आधार बनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को पारित करते हुए किसी विधि सम्मत प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया इस दृष्टि से अपीलाधीन निर्णय सर्वथा दूषित एवं विधि विरूद्ध है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 125/2010 बअनवान चम्पालाल बनाम मोहनलाल वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 14.01.2019 को अपास्त कर मौजा भलरों का वाड़ा तहसील समदडी अपीलाधीन आराजी खसरा संख्या 223 रकबा 134 बीघा में अपीलांट/वादी का 1/6 हिस्सा घोषित किया जाता है। तथा अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि अपीलाधीन आराजी के 1/6 हिस्से का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार समदड़ी से प्राप्त कर विधि सम्मत प्रक्रिया को अपनाते हुए अंतिम डिक्री जारी करे।

26/2/20
(नाथूसिंह [illegible])
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 26.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/2/20
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner